



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233689
CG-DL-E-23022022-233689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 793]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(रिफाइनरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2022

का.आ. 822(अ).—केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन की धारा 2 खण्ड (ए) के अनुसरण में (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), उक्त अधिनियम के अधीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की पारादीप, ओडिशा से लेकर नुमालीगढ़, असम तक समर्पित, कच्चा तेल का पाइपलाइन, पश्चिम बंगाल राज्य में बिछाने के लिए नीचे दी गयी सारणी में वर्णित प्राधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्या का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करते हैं अर्थात:-

अनुसूची

प्राधिकारी का पदनाम	अधिकार का क्षेत्र
श्री सुब्रत सरकार, एस.आर.ओ - I सह एस.डी.एल एवं एल.आर.ओ (सेवानिवृत्त) पता :- फ्लैट न. 4, कर्माकर, परबिरहता, सदरघाट रोड, वर्धमान नगर पालिका, पोस्ट ऑफिस - श्रीपल्ली, जिला - पुरबा वर्धमान, पश्चिम बंगाल - 713103	समस्त पश्चिम बंगाल राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(14)/2/2019-ओआर-I/ई-37221]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**(Refinery Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2022

S.O. 822(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the Authority mentioned in the table below to perform the functions of Competent Authority in the state of West Bengal Under the said Act for laying of dedicated Crude Oil Pipeline of Numaligarh Refinery Limited from Paradip, Odisha to Numaligarh, Assam (Area of jurisdiction whole West Bengal) namely: -

SCHEDULE

Designation of Authority	Area of Jurisdiction
Shri. SubrataSarkar, S.R.O – I & S.D.L & L.R.O (Retd.) AT–Flat No. 4, Karmakar, Parbirhata, Sadarghat Road, Bardhaman Municipality, P.O.- Sripally, Dist.-PurbaBardhaman, West Bengal-713 103	Whole West Bengal State

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(14)/2/2019-OR-I/E-37221]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.